न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दौसा

पीठासीन अधिकारी का नाम : संजय कुमार गोरा (आर.ए.एस)
प्रकरण संख्या : 24/2020
दायर दिनाकं : 09.09.2020
निर्णय दिनांक : 14.07.2022

उनवान

1. सरदारसिंह पुत्र मथुरालाल जाति पूर्विया (राजपूत) निवासी ग्राम खैरवाल तह. व जिला दौसा।
2. मक्खनसिंह पुत्र मथुरालाल जाति पूर्विया (राजपूत) निवासी ग्राम खैरवाल तह. व जिला दौसा
3. गोपालसिंह पुत्र मथुरालाल जाति पूर्विया (राजपूत) निवासी ग्राम खैरवाल तह. व जिला दौसा।

(प्रार्थीगण)

बनाम

1. अनन्तराम पुत्र लक्ष्मण जाति माली निवासी जीरोताखुर्द तहसील दौसा जिला दौसा।
2. डॉ0 निरंजनलाल पुत्र रेखाराम जाति छीपा ग्राम गंगयासर हाल निवासी सैंथल मोड दौसा।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील दौसा जिला दौसा।
4. तहसीलदार तहसील दौसा जिला दौसा।

(अप्रार्थीगण)

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 इस आशय का पेश किया कि आराजी खसरा नम्बर 249 रकबा 0.93 है0, खसरा नम्बर 249/1 रकबा 0.05 है0 एवं खसरा नम्बर 249/2 रकबा 0.05 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 1.03 है0 प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि वाके ग्राम जीरोता पटवार हल्का जीरोताखुर्द में स्थित है। मौके पर प्रार्थीगण काबिज होकर लाभान्वित होते चले आ रहे हैं, इसमें अप्रार्थी संख्या 1 व 2 का किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। प्रार्थीगण की उक्त आराजी के पास ही अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की खातेदारी भूमि है। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 का एकमात्र उद्देश्य प्रार्थीगण से सीमा विवाद कर प्रार्थी की उक्त वर्णित खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि को दबाना है जिसके लिए वह हमेशा प्रयासरत रहते है तथा येनकेन प्रकारेण प्रार्थीगण की भूमि को हडप करने पर आमादा रहते हैं। प्रार्थीगण की आराजी खसरा नम्बर 249, 249/1 एवं 249/2 का सीमाज्ञान दिनांक 10.06.2020 को करवाया जा चुका है। उक्त सीमाज्ञान कर दिये जाने [illegible]र सीमाचिह्न कायम कर देने के बावजूद भी अप्रार्थी संख्या 1 व 2 [illegible] नहीं आ रहे हैं एवं दिनांक 25.08.2020 को अप्रार्थी संख्या 1 व 2 प्रार्थीगण की उ[illegible] आराजी में जबरन घुस आये व प्रार्थीगण की उक्त वर्णित खातेदारी आराजी के सीमाचिह्नों को हटा दिया एवं प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि के कुछ भाग को जबरन दबाकर डोल बनाने का प्रयास करने लगे। इस पर

लगातार....2....

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Kumar Gora
Date: 2023.03.01 12:41:58 IST
Reason: Self Attested

उप खण्ड अधिकारी
दौसा

प्रार्थीगण ने मौके पर पहुँच कर अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को समझाया व अप्रार्थी संख्या 1 व 2 बडी मुश्किल से वापस हुए, किन्तु अप्रार्थी संख्या 1 व 2 लगातार यह धमकी दे रहे हैं कि वे मौका मिलते ही प्रार्थीगण की उक्त आराजी को दबायेगे। इसलिए प्रार्थीगण को अपनी उक्त आराजी का सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगढी करवाना आवश्यक हो गया है। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर उक्त भूमि आराजी खसरा नम्बर 249 रकबा 0.93 है0, खसरा नम्बर 249/1 रकबा 0.05 है0 एवं खसरा नम्बर 249/2 रकबा 0.05 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 1.03 है0 का सीमाज्ञान कराकर पत्थरगढी कराने का अनुरोध किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी की गयी। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से जवाब प्रार्थना–पत्र व काउन्टर प्रार्थना–पत्र पेश कर अवगत कराया है कि प्रार्थीगण ने अपना सम्पूर्ण प्रार्थना–पत्र निहायती झूंठे तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत किया है जिसमें कोई सत्यता नहीं है। खसरा नम्बर 249 का खातेदार सरदारसिंह पुत्र मथुरालाल पूर्विया, खसरा नम्बर 249/1 का खातेदार मक्खनसिंह पुत्र मथुरालाल पूर्विया तथा खसरा नम्बर 249/2 का खातेदार गोपालसिंह पुत्र मथुरालाल पूर्विया हैं। उक्त तीनों नम्बरों के अलग–अलग खातेदार हैं, इसलिए उक्त प्रार्थना–पत्र अलग–अलग खातेदारों द्वारा एक ही प्रस्तुत करने के कारण उक्त प्रार्थना–पत्र चलने योग्य नहीं है। उक्त भूमि खसरा नम्बर 249, 249/1 एवं 249/2 के पास ही प्रत्युत्तरदाता की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि खसरा नम्बर 244/1150 रकबा 0.1500 है0, खसरा नम्बर 244/1151 रकबा 0.0500 है0, खसरा नम्बर 250 रकबा 1.1400 है, खसरा नम्बर 251 रकबा 1.2800 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 2.6200 है0 स्थित है। प्रत्युत्तरदाता ने अपनी उक्त खातेदारी भूमि का दिनांक 24.06.2020 को सीमाज्ञान करवाया है। उक्त सीमाज्ञान अनुसार प्रत्युत्तरदाता का मौके पर सही कब्जा पाया गया है। फिर भी यदि प्रार्थीगण की उक्त भूमि की श्रीमान पत्थरगढी करवाना मुनासिफ समझें तो प्रार्थीगण की भूमि के साथ–साथ प्रत्युत्तरदातागण की खातेदारी की भूमि की भी पत्थरगढी करवाया जाना न्यायोचित है, जिसके लिए काउन्टर प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत है।

तहसीलदार दौसा द्वारा पेश रिपोर्ट के अनुसार ग्राम जीरोता खुर्द के खसरा नम्बर 249 रकबा 0.93 है0 में खातेदार सरदारसिंह पुत्र मथुरालाल पूर्विया, खसरा नम्बर 249/1 रकबा 0.05 है0 में खातेदार मक्खनसिंह पुत्र मथुरालाल पूर्विया तथा खसरा नम्बर 249/2 रकबा 0.05 है0 में खातेदार गोपालसिंह पुत्र मथुरालाल पूर्विया दर्ज रिकार्ड हैं। मौके पर खाली पडी है। कोई स्थगन नहीं है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। बहस के दौरान प्रार्थीगण की ओर से कथन किया गया कि प्रार्थीगण स्वयं की भूमि की पत्थरगढी करवाना चाहते है। अप्रार्थीगण का प्रार्थीगण की आराजी से कोई लेना देना नहीं है। उक्त भूमि का पूर्व में सीमाज्ञान करवाया जा चुका है। तीनों खातेदारों की उक्त भूमि का सीमाज्ञान पूर्व में एक साथ हुआ है। अतः पत्थरगढी हेतु एक साथ प्रार्थना–पत्र पेश किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Kumar Gora
Date: 2023.03.01 12:41:58 IST
Reason: SelfAttested

अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से जवाब प्रार्थना–पत्र व काउन्टर प्रार्थना–पत्र में उल्लेखित बातों को बहस के दौरान दोहराया गया तथा कथन किया गया कि यदि प्रार्थीगण की उक्त भूमि की पत्थरगढी का आदेश दिया जाता है, तो प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण दोनों की भूमियों की पत्थरगढी का आदेश दिया जावे। जिसके लिए प्रार्थीगण की ओर से कोई आपत्ति नहीं जताई गई तथा अप्रार्थीगण की भूमि की पत्थरगढी कराने में अपनी सहमति प्रकट की गई।

लगातार....3....

उप खण्ड अधिकारी
दौसा (राज.)

(3)

पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा बहस पर मनन किया। राजस्व रिकार्ड के अनुसार अनुसार ग्राम जीरोता खुर्द के खसरा नम्बर 249 रकबा 0.93 है0 में खातेदार सरदारसिंह पुत्र मथुरालाल पूर्विया, खसरा नम्बर 249/1 रकबा 0.05 है0 में खातेदार मक्खनसिंह पुत्र मथुरालाल पूर्विया तथा खसरा नम्बर 249/2 रकबा 0.05 है0 में खातेदार गोपालसिंह पुत्र मथुरालाल पूर्विया दर्ज रिकार्ड हैं। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से जवाब प्रार्थना–पत्र व काउन्टर प्रार्थना–पत्र पेश कर अवगत कराया है कि प्रत्युत्तरदाता ने अपनी उक्त खातेदारी भूमि का दिनांक 24.06.2020 को सीमाज्ञान करवाया है। उक्त सीमाज्ञान अनुसार प्रत्युत्तरदाता का मौके पर सही कब्जा पाया गया है। फिर भी यदि प्रार्थीगण की उक्त भूमि की पत्थरगढी करवाना मुनासिफ समझें तो प्रार्थीगण की भूमि के साथ–साथ प्रत्युत्तरदातागण की खातेदारी की भूमि की भी पत्थरगढी करवाई जावे। बहस के दौरान प्रार्थीगण की ओर से इस संबंध में सहमति जताई गई है। तहसीलदार दौसा द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार उक्त भूमि मौके पर खाली पडी है। कोई स्थगन नहीं है। तहसीलदार दौसा द्वारा पत्थरगढी करवाने में कोई आपत्ति होना जाहिर नहीं किया है। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण दोनों की भूमियों की पत्थरगढी का आदेश देने हेतु निवेदन किया गया है। जिसके लिए प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण दोनों सहमत हैं। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र एवं अप्रार्थीगण का काउन्टर प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार दौसा को निर्देशित किया जाता है कि यदि अन्य किसी न्यायालय का स्थगन नहीं हो तो प्रार्थीगण की भूमि आराजी खसरा नम्बर 249 रकबा 0.93 है0, खसरा नम्बर 249/1 रकबा 0.05 है0 एवं खसरा नम्बर 249/2 रकबा 0.05 है0 तथा अप्रार्थीगण की भूमि आराजी खसरा नम्बर 244/1150 रकबा 0.1500 है0, खसरा नम्बर 244/1151 रकबा 0.0500 है0, खसरा नम्बर 250 रकबा 1.1400 है, खसरा नम्बर 251 रकबा 1.2800 है0 वाके ग्राम जीरोता खुर्द पटवार हल्का जीरोताखुर्द तहसील दौसा का अनुभवी पटवारियों/भू.अ. निरी0 की टीम गठित कर सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगढी करवायी जावे। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण से नियमानुसार राजकीय शुल्क वसूल किया जावे। पत्थरगढी से पूर्व तहसीलदार प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण की उक्त भूमि के समीपवर्ती काश्तकारों को प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के खर्चे पर लिखित में सूचना देगा। उक्त आदेश केवल पत्थरगढी का है, जिसमें किसी प्रकार का कब्जा नहीं संभलाया जावे। अगर पुलिस जाब्ते की जरूरत हो तो पुलिस से समन्वय कर पुलिस इमदाद प्राप्त की जावे।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया तथा मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

Signature Not Verified

(संजय कुमार गोरा)
उपखण्ड अधिकारी, दौसा

Digitally signed by Sanjay Kumar Gora
Date: 2023.03.01 12:41:58 IST
Reason: SelfAttested